बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

का०आ०सं०–स्था०2/19–25/88– 361 /पटना, दिनांक– 31.10.17

कार्यालय आदेश

श्री ईश्वर दयाल, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोहद्दीनगर, समस्तीपुर संप्रति कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, सहरसा के विरूद्ध दर्ज आर्थिक अपराध थाना काण्ड संख्या–08/2014 दिनांक 18.02.2014 धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(ई०) भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम 1988 के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–182949 दिनांक 11.04.2014 द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन पर सम्यक् विचारोपरांत निदेशालय के का०आ०सं०–117 सह पठित ज्ञापांक–625 दिनांक–28.04.2014 द्वारा आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित किया गया।

2. श्री दयाल के विरूद्ध दर्ज भ्रष्टाचार के आरोप की निदेशालय स्तर पर की गई समीक्षा के उपरांत निदेशालय के का०आ०सं०–143 सह पठित ज्ञापांक–776 दिनांक–03.06.2014 द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र–'क' गठित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। विभागीय कार्यवाही के नियमानुकूल संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच) पटना तथा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना को नियुक्त किया गया।

3. आरोपी कर्मी श्री दयाल के विरूद्ध गठित आरोप पत्र प्रपत्र–'क' में निम्नलिखित आरोप गठित किए गए :–

(i) "श्री ईश्वर दयाल के द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन की अवधि में अपने ज्ञात वैध श्रोतों से प्राप्त आय के अतिरिक्त भ्रष्ट एवं नाजायज तरीके से स्वयं तथा परिजनों के नाम पर अकूत चल एवं अचल सम्पत्ति अर्जित किया गया है, जो इनके ज्ञात श्रोतों से लगभग 48,10,569.00 (अड़तालीस लाख दस हजार पॉच सौ उन्हत्तर) रूपये अधिक पायी गयी है। इनके द्वारा नाजायज एवं भ्रष्ट तरीके से अर्जित की गयी राशि, भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम–1988 की धारा 13(2) सह पठित धारा 13(1)(ई०) के तहत संज्ञेय अपराध है।

(ii) भ्रष्ट क्रियाकलापों द्वारा आय के ज्ञात श्रोतों से काफी अधिक परिसम्पतियॉ अर्जित करने के कारण इनके विरूद्ध आर्थिक अपराध थाना काण्ड संख्या–08/2014 दिनांक–18.02.2014 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 9(1)(ग) के तहत आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित किया गया।

उपर्युक्त कृत कार्रवाई इनके घोर अनुशासनहीनता, कर्त्तव्यहीनता एवं भ्रष्ट आचरण का परिचायक है।"

4. श्री दयाल के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के नियमानुसार संचालन के उपरांत अपर समाहर्त्ता विभागीय जाँच–सह–संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक–413 दिनांक–12.12.2014 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन मे प्रतिवेदित किया गया है कि :–

"आरोपी पदाधिकारी श्री ईश्वर दयाल द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन अवधि में अपने ज्ञात वैध श्रोतों से प्राप्त आय के अतिरिक्त नाजायज तरीके से स्वयं तथा परिजनों के नाम पर अकूत सम्पत्ति अर्जित करने के आरोप के संबंध में श्री दयाल को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस निर्गत किया गया। आरोपी द्वारा अपना पक्ष रखने हेतु आर्थिक अपराध इकाई बिहार, पटना के पत्राांक–674 दिनांक–19.02.2014 के साथ संलग्न अनुमानित आय एवं अनुमानित व्यय तथा अचल संपत्ति की अनुमानित कीमत किन तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गयी है से संबधित साक्ष्य एवं कागजात उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। इसके आलोक में पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई–3, बिहार, पटना के ज्ञापांक–978/विधि शाखा, दिनांक 26.09.2014 की छायाप्रति आरोपी को उपलब्ध कराया गया जिसमें वर्णित है कि संबंधित साक्ष्य एवं दस्तावेज अनुसंधान के दौरान उपलब्ध कराना अनुसंधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अनुसंधान पूर्ण होने एवं आरोप पत्र समर्पित होने तक किसी साक्ष्य/दस्तावेज को उपलब्ध कराना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद संबंधित न्यायालय की अनुमति के उपरांत दस्तावेज उपलब्ध कराया जा सकता है।

वस्तुस्थिति से आरोपी को अवगत कराते हुए इन्हें अपना पक्ष रखने हेतु अंतिम मौका दिया गया। इसके बावजूद भी आरोपी ने अपना पक्ष न रखते हुए पुनः याचित कागजात उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

आरोपी को अपना पक्ष रखने हेतु बार–बार मौका दिया गया, इसके बावजूद भी आरोपी द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी इस मामले को लटकाये रखने के उद्देश्य से अपना पक्ष नही रखना चाह रहे है, अथवा उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें अपने उपर लगाये गये आरोप स्वीकार्य है।

उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों से स्पष्ट है कि आरोपी अपने ज्ञात वैध श्रोतो से प्राप्त आय के अतिरिक्त भ्रष्ट एवं नजायज तरीके से स्वयं तथा परिजनों के नाम से अकूत चल एवं अचल सम्पति अर्जित किया हैं। आरोपी पर आरोप पत्र प्रपत्र–'क' में गठित आरोप प्रमाणित होता है"।

5. निदेशालय के पत्रांक–93 दिनांक–20.01.2015 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति आरोपी श्री दयाल को प्रेषित करते हुए उनसे एक पक्ष के अन्दर द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई। आरोपी कर्मी ने अपने आवेदन दिनांक–20.02.2015 तथा दिनांक 16.04.2015 द्वारा एक माह के समय की मॉग की गयी जिसके व्यतीत हो जाने के उपरांत भी उनके द्वारा उत्तर समर्पित नहीं किया गया। तद्‌लोक में निदेशालय के पत्रांक–661 दिनांक 25.05.2015 द्वारा उन्हें निदेशित किया गया कि वे अपना द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर एक सप्ताह के भीतर निदेशालय को उपलब्ध करा दें अन्यथा यह माना जायेगा कि इस संबधं में उन्हें कुछ नहीं कहना है तथा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में निर्णय ले लिया जायेगा।

6. श्री दयाल द्वारा जवाब समर्पित नहीं किये जाने के कारण नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए पुनः निदेशालय के पत्रांक–1348 दिनांक 20.08.2015 द्वारा उन्हें निदेशित किया गया कि वे एक सप्ताह के अंदर अपना जवाब कार्यालय को उपलब्ध करायें। तत्पश्चात दिनांक 31.08.2015 को हस्ताक्षरित उनका जवाब निदेशालय को प्राप्त हुआ। जिसमें उन्होंने प्रायः उन्ही तथ्यों का उल्लेख किया है जो उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष दिया गया था।

श्री ईश्वर दयाल द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में अपने बचाव से संबधित कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा इनके द्वारा प्राप्त आय में दिखाये गये कुल छः अनिबंधित अनुबंध पर छः व्यक्तियों से वगैर निर्माण के अधिक राशि प्राप्त करना संदेहास्पद है।

श्री दयाल द्वारा प्राथमिकी में दर्ज डीड संख्या एवं मूल्य जिससे अचल सम्पत्ति अर्जित की गई है जिसका उल्लेख पुलिस अधीक्षक, निगरानी द्वारा भी किया गया है, वह एक साक्ष्य है जिसका खंडन आरोपी द्वारा नहीं किया गया है।

आरोपी द्वारा वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में विभाग को समर्पित सम्पत्ति का ब्यौरा में अनिबंधित अनुबंध पर जिन छः व्यक्तियों से वर्ष 2012–13 के दौरान कुल 41.35 लाख रूपये प्राप्त हुए का उल्लेख इनके द्वारा विभाग को समर्पित सम्पत्ति के ब्यौरा में नहीं किया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि इनके द्वारा निगरानी द्वारा प्राथमिकी दर्ज होने के उपरांत अपने बचाव के रूप में साक्ष्य बनाने की कोशिश की गई है।

7. उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि श्री दयाल के द्वारा बार–बार समय की मांग की गयी एवं यथेष्ट समय दिये जाने के बावजूद भी उनके द्वारा कोई अपनी अधिक सम्पत्ति के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे प्रमाणित होता है कि श्री दयाल के पास अपने बचाव के लिए ठोस साक्ष्य नही है।

अतः श्री ईश्वर दयाल, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोहद्दीनगर, समस्तीपुर संप्रति कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, सहरसा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में आरोप, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन, आरोपी कर्मी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर एवं उपलब्ध अभिलेखों की निदेशालय स्तर पर समीक्षा के उपरांत इनके उपर लगाये गये नाजायज एवं भ्रष्ट तरीके से अर्जित की यी सम्पति का आरोप प्रमाणित होता है।

अतएव श्री ईश्वर दयाल के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 14(XI) के तहत आदेश निर्गत की तिथि से सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का दंड अधिरोपित करते हुए इन्हे सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

ह0/–
(पूनम)
निदेशक

ज्ञापांक– स्था०2/19–25/88– 2387 पटना, दिनांक– 31.10.17

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विकास, विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव–सह–मुख्य निगरानी पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (पत्रांक–182949 दिनांक 11.04.2014 के प्रसंग में)/जिला पदाधिकारी, पटना एवं सहरसा/पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई–3, बिहार, पटना (पत्रांक 674/आ०अप० दिनांक 19.02.2014 के प्रसंग में)/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना एवं सहरसा/जिला कोषागार पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक

ज्ञापांक– स्था०2/19–25/88– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– * श्री ईश्वर दयाल, कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*निबंधित

ह0/–
निदेशक

ज्ञापांक– स्था०2/19–25/88– 2387 पटना, दिनांक– 31.10.17

प्रतिलिपिः– श्री सुदामा कुमार, आई०टी० मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेव–साईट पर अपलोड करने हेतु।

31/10/17
निदेशक